न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारी– हेताराम चौहान (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 70 / 2019

प्रार्थी– बनाम अप्रार्थीगण–

1. गोरधनराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नान्दिया खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

बनाम

1. भगाराम पुत्र देरामराम
2. प्रहलादराम पुत्र श्री देरामराम
3. बाबुराम पुत्र देरामराम
4. अनाराम पुत्र देरामराम
5. टिकुराम पुत्र देरामराम
6. उगमा पत्नि देरामराम

   सभी जातियान जाट निवासीगण नान्दिया खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर

7. तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता–

श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थी की और से उपस्थित ।

श्री प्रेमकुमार विश्नोई अप्राथीगण की और से उपस्थित ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दि. 28|8|20

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने ग्राम नान्दिया खुर्द की राजस्व

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

सीमा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 264/1 रकबा 90 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, व खसरा नम्बर 264 रकबा 90 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरान् 02 कुल रकबा 181 बीघा 15 बिस्वा ग्राम नान्दिया खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है जिसमें प्रार्थी खातेदार काश्तकार है प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम नान्दिया खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 252 गै.मु. रास्ता के एवं प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 264/1 किस्म बारानी चतुर्थ के बीच में अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 273 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय स्थित है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 264/1 व 264 में आने जाने हेतु कोई कट्टाणी रास्ता नहीं लगता है। इस प्रकार प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु कोई सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 264/1 व 264 में आने जाने हेतु चलने वाला गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 252 से आते हुए खसरा नम्बर 273 जो गै.मु. रास्ते के चिपते ही स्थित है जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 के उतरी मॉठ के सहारे सहारे अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 में से होते हुए अपने खेत खसरा नम्बर 264/1 व 264 में आता जाता है जिस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी,डी से 15 फुट चौड़ा रास्ता दर्शाया गया है। जो आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता से सम्बोधित किया जायेगा। संलग्न नजरी नक्शे को उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग सुमार माना जावे। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद भूमि में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु सबसे निकटतम सुलभतम एव सबसे नजदीक रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 के उतरी मॉठ के सहारे सहारे स्थित है। प्रार्थी की खोदारी जमीन खसरा नम्बर 264/1 व 264 में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित करवाकर ट्रेस नक्शे मे रास्ता की तरमीम करवाने का अधिकारी है। व इसी अनुसार उक्त रास्ते हेतु सरकारी भूमिदर यानि डी.एल.सी से [illegible] जमा करवाने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र म[illegible] से निवेदन है कि ग्राम नान्दि[illegible] खुर्द की राजस्व सी[illegible] स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 264/1 रकबा 90 बीघा 17 बिस्वा, ख[illegible] नम्बर 264 रकबा 90 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरान् 02 कुल रकबा 181 बीघा 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि के उत्तरी मॉठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 273 के अन्दर से नजरी नक्शे में दर्शाये लाल स्याही से रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी 15 फुट चौड़ा नया, निकटतम, सुलभतम नजदीक रास्ता दिलाया जाकर रास्ता घोषित फरमाया जावें व आदेश फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 के उत्तरी मॉठ के सहारे सहारे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए,बी,सी,डी 15 फुट चोड़ा रास्ता को राजस्व रेकर्ड में सरकारी रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शे में रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या एक से छः की और से अधिवक्ता प्रेमकुमार विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की और से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि– " प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी की उक्त खसरे में उक्त स्थान पर भूमि आई हुई हो तो प्रार्थी स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 273 की भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज है प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 264 व 264/1 में आने जाने हेतु पहले से रास्ता मौजूद है प्रार्थी तथा प्रार्थी का परिवार पीढीयों से खसरा नम्बर 270 व 271 की भूमि के मध्य मॉठ के सहारे सहारे आते जाते है तथा वहां पर पहले से रास्ता चलता है इसलिए प्रार्थी को अन्य कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी जिस गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 252 से अपने खेत में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 273 में से आने जाने की बात कहता है वह बिल्कुल गलत है। प्रार्थी कभी भी खसरा नम्बर 273 की भूमि में से आना जाना नही हुआ क्योकि वे पहले से ही पुराने रास्ते खसरा नम्बर 270 व 271 के मध्य की मॉठ के सहारे सहारे अपने खेत में जाते है प्रार्थी ने जो नजरी नक्शे में [illegible]सी,डी मार्क 15 फुट चौड़ा रास्ता बताया है वो गलत है कभी [illegible] इस [illegible]ते से प्रार्थी आता जाता नहीं है प्रार्थी ने जिस नजरी नक्शे में [illegible] अप्रार्थीगण का निर्माण किया हुआ है इसलिए रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन का जबाब इस प्रकार है कि इस पद में प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

59

सरासर गलत तथ्य लिखे है प्रार्थी का निकटतम रास्ता पहले से चलता है जो वह पीढीयों से आता जाता रहा है तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जो रास्ता वर्तमान में खसरा नम्बर 270 व 271 की भूमि के मध्य की मॉठ से चलता है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी एक नया रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु चाहता है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु जो खसरा नम्बर 270 व 271 के मध्य चल रहे रास्ते के अलावा अगर प्रार्थी दूसरा रास्ता चाहता है तो वह खसरा नम्बर 263 की भूमि में से प्राप्त कर सकता है क्योकि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 252 प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 264 व 264/1 के बीच में खसरा नम्बर 263 की भूमि स्थित है खसरा नम्बर 263 में से रास्ता देने से वह बहुत नजदीक व सुलभ रास्ता रहेगा एवं भूमि भी कम रकबे में रास्ते हेतु काम आयेगी। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 की भूमि में से नया रास्ता देने से अधिक भूमि रास्ते मे चली जायेगी तथा प्रार्थी को लम्बी दूरी का रास्ता तय करना पड़ेगा तथा अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी जिससे प्रार्थी को अनावश्यक नुकसान होगा अप्रार्थीगण इस जवाब के साथ में राजस्व नक्शे की फौटो प्रति पेश कर रहा है जिसमें लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है जो कम दूरी सुलभ रास्ता रहेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या चार का जवाब इस प्रकार है कि इस पद में प्रार्थी डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि देने की बात करता है प्रार्थी क्यों न खसरा नम्बर 263 की भूमि में से रास्ता प्राप्त कर ले क्योकि इस खसरे में रास्ते की भूमि कम खराब होगी तथा राशि भी कम देनी पड़ेगी प्रार्थी ने एक पेस्टिक पॉइन्ट बना लिया है कि अप्रार्थीगण के खेत में से ही रास्ता लेना हैइस प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को धमकी दी है इसी उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खरिज फरमाया जावे।

हमने बहस वकुलाय पक्षकारान सुनी बहस में वकुलाय प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुए अपना अपना पक्ष रखा व प्रार्थना पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में भौतिक एवं वास्तविक स्थिति हेतु उक्त विषय में भूमिधारी तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

600

मंगवाई गई जिसमें भी स्पष्ट रूप से प्रार्थी द्वारा मांग किये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम व सुलभतम रास्ता चलना नहीं बताया है न ही प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 264/1 व 264 में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान होना नहीं बाताया है। प्रार्थन पत्र मे संलग्न लाल स्याही से दर्शाये नजरी नक्शे मार्क ए,बी,सी,डी पन्द्रह फुट चौड़ा रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम व सुलभतम रास्ता नहीं है न ही अन्य कोई खसरे से प्रार्थी के खेतों में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता दिया जाना उचित नहीं बताया। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व रेकर्ड के नक्शे की फौटो प्रति के देखने मात्र से भी प्रार्थी के खेतो के चारो तरफ अन्य कोई निकट सरकारी रास्ता व निजी रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब व बहस में बार बार खसरा नम्बर 263, 270 व 271 में से रास्ता प्राप्त करने हेतु कह रहे हैं लेकिन उक्त संबंध में भी मौका कमिश्नर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा नम्बर 273 व खसरा नम्बर 263 से प्रार्थी के खेत की समान दूरी है व खसरा नम्बर 263 में पूर्वी मेड़ पर मिट्टी की बड़ी पाल बनाई हुई है जों कि वर्षा के पानी के बहाव को रोकने के लिए पूर्व से बनी हुई है उक्त पाल के उपर से रास्ता नहीं दिया जा सकता है पाल के आगे से यदि रास्ता दिया जाता है तो खसरा संख्या 273 से अधिक दूरी होती है एव वर्षाकाल में उक्त पाल के पास पानी भरा रहता है यदि उक्त स्थल से यदि रास्ता देकर रास्ते के रूप में काम में लिया जाता है तो वर्षाकाल में अन्य खेतो व ढाणियों में भारी मात्रा में वर्षा का पानी चला जायेगा जिससे अन्य खातेदारों एवं ढाणियों में निवास करने वाले लोगो को नुकसान हो सकता है। इस प्रकार जब प्रार्थी के खेत तक रास्ता देने में बराबर दूरी है तो उक्त पाल से रास्ता देना उचित नहीं है व अप्रार्थीगण ने मार्क ए,बी,सी,डी से जहां रास्ता प्रार्थी ने बताया है वहां निर्माण होना बताया है जबकि जिस जगह से रास्ते की मांग की गई है उस जगह पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नही है इसलिए अप्रार्थीगण का उक्त तथ्य भी उचित नहीं है। खसरा संख्या 2[illegible] व 2[illegible] [illegible] कोई भी सरकारी कट्टाणी रास्ता चलने के सम्बन्ध में किसी प्रकार [illegible] दोन[illegible] मौका कमिश्नर रिपोर्ट में नहीं आया है व न ही [illegible] रास्ते के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं [illegible]। अप्रार्थीगण ने उक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बानसूर

Scanned with CamScanner

पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर पुनः कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें भी अप्रार्थीण द्वारा बताये गये उजरात के सम्बन्ध में कोई भी नया तथ्य साबित नहीं हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने रास्ते के सम्बन्ध में उजरदारी आवश्य की है लेकिन अप्रार्थीगण ने इस प्रकार का तथ्य साबित नहीं किया है कि प्रार्थीगण अन्य खसरो में से कहां से कहां तक आते जाते है उसकी कितनी दूरी है मांगे गये रास्ते से कम या अधिक है या नहीं है इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है व किसी प्रकार का निकट वैकल्पिक रास्ता चलायमान होने के सम्बन्ध में कोई ठौस कार्यवाही पेश नहीं की। किसी भी खातेदार अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है यदि खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में सुगमता से आ जा नहीं सकता है तो उसके लिए अन्य समस्त खातेदारी अधिकार कोई मायने नहीं रखते है क्योकि वो अपनी भूमि तक पहूँच ही नही सकता तो उसके लिए अन्य अधिकार शून्य के बराबर है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनने के पश्चात् पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो जवाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्राप्त दोनो ही मौका कमिश्नर रिपोर्टो में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ही 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया है इसलिए ग्राम नान्दिया खुर्द में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 264/1 व 264 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 273 के अन्दर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे एवं दोनो ही मौका कमिश्नर रिपोर्टो के अनुसार ही उक्त रास्ता प्रस्तावित होने से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए,बी,सी,डी के अनुसार 15 फुट चौड़ा रास्ता मॉठके सहारे सहारे अप्रार्थीगण के खेत के अन्दर से सबसे नजदीक रास्ता है जो दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

-: निर्णय :-

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। ग्राम नान्दिया खुर्द की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 264/1

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

62

रकबा 90 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 90 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरान् 02 कुल रकबा 181 बीघा 15 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 273 रकबा 45 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि के उत्तरी मॉठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 273 के अन्दर से नजरी नक्शे में दर्शाये लाल स्याही से रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है ग्राम नान्दिया खुर्द के डी.एल.सी दर अनुसार जो कीमत बनती है उक्त राशि प्राप्त कर रास्ते के रूप में 15 फुट चौड़ाई में आने वाली भूमि की कीमत प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर नियमानुसार प्राप्त कर प्रार्थना पत्र के नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता कायम कर नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें प्रार्थी अप्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 273 में से रास्ते के काम में आई भूमि हेतु खसरे नम्बर 273 के खातेदरान् के नाम अप्रार्थीगण को अलग अलग चैक / डी.डी / रोकड़ प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करें। उक्त रास्ते की भूमि मौका फर्द व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर तहसीलदार बावड़ी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार बावड़ी के नाम जारी हों। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

(हेताराम चौहान आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

निर्णय आज दिनांक 28/5/20 को मेरे निर्देशन में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:17 IST
Reason: SelfAttested

(हेताराम चौहान आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

Scanned with CamScanner